बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, पडरौना

**Email-fcd3padrauna@gmail.com**

पत्रांक 393 / पडरौना, दिनांक 13.04.2026

**भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या—01 / 2026–27**

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, पडरौना (जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना) अन्तर्गत प्रमंडलाधीन कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य / बाढ़ संघर्षात्मक कार्य एवं अन्य सरकारी कार्यो के कार्यान्वयन एवं निरीक्षण हेतु निम्नलिखत कॉलम 02 में अंकित अवधि के लिये कॉलम 03 में अंकित बोलेरो गाडी (अवातानुकूलित) भाड़े पर रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित की जाती है :–

| क्र0 | कार्यान्वित अवधि | अदद | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 01.05.2026 से 31.05.2026 एवं 01.11.2026 से 31.03.2027 तक | 02 अदद | |
| 2 | 01.06.2026 से 31.10.2026 तक | 04 अदद | बाढ़ अवधि हेतु |

उक्त अवधि के लिये निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों / फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफाफा में दिनांक 27.04.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, पडरौना में जमा का जायेगा और उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगें।

**कोटेशन पर वाहन रखनें की शर्त्ते निम्नवत् है :–**

1. एकल वाहन स्वामी भी कोटेशन में भाग ले सकते है।
2. भाड़े पर वाहन क्रमांक 01 एवं क्रमांक 02 पर अंकित अवधि तक लिया जायेगा। अवधि विस्तार की स्थिति में एकरारित दर पर ही वाहन को आगे के लिए रखा जायेगा। व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
3. वाहन का मॉडल 2019 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
4. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया इत्यादि उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक / फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। वाहन चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक / फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
5. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी एवं विपत्र से नियमानुकूल करों की कटौती अनिवार्य रूप से की जाएगी।
6. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
7. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
8. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक / फर्म का होगा।
9. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिदिन की दर से ईंधन रहित देय होगा।
10. वाहन के उपयोग के लिए लौग बुक का संधारण वाहन मालिक के जबावदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
11. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी विना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
12. वाहन का माईलेज़ वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
13. बाढ़ अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनों समय में किया जाता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
14. वाहन का उपयोग वाहन मालिक / वाहन आपूर्ति कर्ता निजि अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक / फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
16. इच्छुक वाहन मालिक / फर्म उक्त क्रमांक 1 से 14 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एव क्रमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगें।
17. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक / फर्म का चयन किया जायेगा।
18. शपथ–पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
19. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक 13.04.2026
20. कोटेशन जमा करने की अवधि : दिनांक 27.04.2026 को 10:30 बजे पूर्वाहन से 3:00 बजे अपराह्न तक ।
21. कोटेशन जमा करने का स्थान : कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, पडरौना / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना / कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, गोपालगंज के कार्यालय में।
22. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 27.04.2026 को 3:30 बजे अपराह्न में।
23. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, पडरौना (मो0 नं0–7463889135)
24. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सूचना पटट एवं वेबसाईट www.wrd.bih.nic.inपर देखा जा सकता है।

**कार्यपालक अभियंता**
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, पडरौना

पत्रांक 393/ पडरौना, दिनांक 13.04.2026

प्रतिलिपिः—सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट् कॉपी के साथ दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्रों के प्रकाशन हेतु समर्पित।

अनु0ः— सॉफ्ट एवं हार्ड कापी कोटेशन आमंत्रण सूचना।

13/04/26

कार्यपालक अभियंता

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल—1, पडरौना

13-4-26